The question was put and the motion was negatived.

Clause 24 was added to the Bill.

Clause 25 was added to the Bill.

Clause 26 - Penalty for failure to comply with orders of Tribunal

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In clause 26, there are three amendments No. (14), (15) and (16) by Shri Moinul Hassan. Are you moving?

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I move:

- (14) That at page 10, line 21, *for* the words "three years" the words "fourteen years" be *substituted*.
- (15) That at page 10, lines 26 and 27, for the words "which may extend to twenty-five crore rupees" the words "and cancellation of contracts, clearances and other permissions to carry out its activities" be substituted.
- (16) That at page 10, lines 30 to 32 be deleted.

The question were put and the motions were negatived.

Clause 26 was added to the Bill.

Clause 27 - Offences by companies

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In clause 27, there is one amendment no. (17) by Shri Moinul Hassan. Are you moving?

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I move:

(17) That at page 10, line 38 to 41, be deleted.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 27 was added to the Bill.

Clause 28, the First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2010

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, as passed by Lok Sabha be taken into consideration."

Mr. Deputy Chairman, Sir, it is a very small amendment and it is going to help a large number of workers. The earlier limit of Rs. 3.5 lakhs has, now, been enhanced to Rs. 10 lakhs, which will be payable to employees. The Payment of Gratuity Act, 1972, provides for scheme for payment of gratuity to the employees employed in factories, mines, oilfields, plantations, ports, railway companies, shops and other establishments. The Government proposes to take immediate steps by way of amendment in the Payment of Gratuity Act, 1972 to enhance the ceiling on maximum amount of gratuity from Rs. 3.5 lakhs to Rs. 10 lakhs, payable to employees.

By amending the Payment of Gratuity Act, 1972, crores of workers will be benefited in establishments where ten or more workers are employed. Also, once the Bill is passed, Income-Tax benefits will go to the worker due to enhancement of the ceiling to Rs. 10 lakhs from existing Rs. 3.5 lakhs.

In view of these benefits, I hope this august House will pass this amendment in the Payment of Gratuity Act, 1972.

The question was proposed.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभापित महोदय, हम कई सालों से यह मांग करते आ रहे थे कि श्रम विभाग को कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत लाया जाए, जिसे बाद में यूपीए सरकार ने मान लिया। हमारे श्रम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री, जो कि राजनीति में एक बड़े नेता हैं, उन्होंने इस प्रकार का एक छोटा-सा बिल अभी इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि इससे पहले श्रम मंत्रालय की ओर से ग्रैच्युटी से संबंधित जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसे हमारे श्रम राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किया था और वह भी सर्वसम्मित से पारित हुआ था।

महोदय, जो मजदूर है, जिसे आप श्रमिक या कर्मचारी कह सकते हैं, वह जिन्दगी भर काम करता है। जब वह रिटायर होने लगता है, जब उसके टेंशन लेने का टाइम आता है, उस समय उसको pensionary benefit के रूप में ग्रैच्युटी मिलती है। हिन्दी में इसको 'उपदान' कहा जाता है। मेरी समझ से अगर इसको 'उपवेतन' कहा

जाएगा तो इसका सही अर्थ निकलेगा, क्योंकि जिसने जिंदगी भर काम किया, जिसने 30 साल या 40 साल तक काम किया और उसके बाद जब वह रिटायर हो जाता है तो उसको सालाना, उसके 15 दिनों के वेतन के बराबर एकमुश्त जो राशि मिलती है, वह ग्रैच्युटी कहलाती है। अभी महंगाई का जमाना है, इसलिए इसकी ceilling में बढ़ोत्तरी करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। इस उपदान संदाय की ceiling जो कि साढ़े 3 लाख तक की थी, वह साढ़े 3 लाख तब की गई थी जब 1972 के इस कानून में 1997 में संशोधन हुआ था। इसमें अब जो संशोधन लाया गया है, उसके अनुसार इस सीमा को अब साढ़े 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने की बात है। यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की भी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई। तमाम राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों और सेट्रल ट्रेड यूनियन्स, सब की यह आम सहमित है कि इस ceiling को बढ़ाया जाना चाहिए। यह सबकी मांग है और सरकार इसको लेकर आई है।

महोदय, हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। हमने कई बार कहा कि जो सही बात है, जो सही कदम है, उसकी हम सराहना करते हैं। आज ग्रेच्युटी के पेमेंट की समस्या कर्मचारियों के साथ है। यह विशेषकर प्राइवेट सेक्टर के लिए किया गया है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सवाल है, इसमें एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर होता है जिसमें रेलवे, पोस्टल, कम्युनिकेशंस आदि क्षेत्र आते हैं और दूसरे राज्य सरकार के भी कई सारे सेक्टर्स आते हैं। चाहे केन्द्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी एक होते हैं। दूसरी ओर घरेलू उद्योग हैं। आज यह कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर का जमाना गया। यह Congress-led यूपीए सरकार नेहरू जी को बिल्कुल नकार चुकी है। नेहरू जी को सोच जो रिशयन मॉडल में थी, पब्लिक सेक्टर इकॉनॉमी में थी, इसको तो यह बिल्कुल तहस-नहस करने के मूड में है। उस समय भारतीय जनसंघ की जो theory of economy थी, लोग यह कहते हैं कि सरकार क्या व्यापार करेगी, इसलिए अब ये घरेलू उद्योग की ओर जा रहे हैं और ये बिना कारण, बेवजह पूंजी विनिवेश करते हैं।

महोदय, मैं सही बात कहता हूं। जब एनडीए की सरकार थी तो हमने विनिवेश मंत्रालय बनाया। विनिवेश मंत्रालय के कारण जो हमें भुगतना था, वह हम भुगत चुके। पहले एनडीए के 6 साल का जमाना था अब यूपीए के भी 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये कभी यह नहीं कह पाएंगे कि एनडीए के समय में ऐसा हुआ था। आपने वित्त मंत्रालय के अधीन जो विनिवेश विभाग रखा है, एनडीए के समय का जो विनिवेश मंत्रालय था, उससे ज्यादा जहरीला काम आप इस विनिवेश विभाग के माध्यम से करते हैं।

महोदय, मैं उड़ीसा से आता हूं। उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र की एक संस्था National Aluminium Company (NALCO) है। उसके पास अभी भी 5000 करोड़ का रिजर्व फंड है। उसके पास इसे expense करने के बहुत सारे मौके भी हैं, लेकिन बगैर दिमाग लगाये उस फंड से पूंजी विनिवेश किया जाता है।

महोदय, कहने का उद्देश्य यह है कि यह सरकार सामंतवादी अर्थ नीति लाने के लिए बिल्कुल तत्पर है और घरेलू उद्योग पर ज्यादा महत्व दे रही है। अगर आप private industry का मामला करते हैं, तो private industry में जो कामगार काम करते हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : पाणि जी, यह बिल gratuity के संबंध में है।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, यह भी बिल से संबंधित है। जो घरेलू उद्योग है, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, अगर आप उनको gratuity के रूप में साढ़े तीन लाख रुपए से बढ़ाकर दस लाख रुपए देने की सोच रहे हैं, तो इसमें मेरा इतना कहना है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर, इन सभी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, यह सबके लिए कीजिए। आज दूनिया में परिभाषा बदलती है। आप कभी ऐसा विधेयक लाए हैं कि हम वहां employee ले आए, इनमें चार categories होती थीं; ग्रुप थ्री होते थे, क्लास फोर होते थे। आज तो लगता है कि सरकारकी अर्थ नीति ऐसी हो गई है कि वह Class V या Group E जैसी एक श्रेणी का सृष्टि कर रही है। Sir, what is the position of contract labourer? What is the position of unorganized sector? आप कर्मचारी तक मान लीजिए, लेकिन उसके नीचे जो बिल्कुल मजदूरी करता है, जो बिल्कुल मेहनत करता है, जिसको daily wages earner कहते हैं, इन लोगों की social security के बारे में आपको सोचना चाहिए। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि gratuity को साढ़े तीन लाख रुपए से बढ़ाकर दस लाख रुपए करना है, यह सर्वमान्य है, सर्वथा मान्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप वाह-वाही लूट रहे हैं कि आप "मनरेगा" योजना चला रहे हैं, लेकिन आप "मनरेगा" के तहत न्यूनतम मज़दूरी कितनी देते हैं? इसमें सौ दिन काम देते हैं या नहीं देते हैं, यह तो दुनिया को पता है, लेकिन आप जो न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं, इस संबंध में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप fair wages तो देते नहीं हैं, Fare wages तो दूर की बात है, आप जिंदगी जीने के लिए कम से कम living wages तो दे दीजिए। जिंदगी जीने के लिए जो wages दिया जाता है, वह living wages कहलाता है। आज की तारीख में अगर बिल्कुल मापा जाए, तो मैं मंत्री जी से आंख से आंख मिला कर यह कह सकता हूं कि एक गरीब मजदूर को living wages के रूप में 261 रुपए देना चाहिए। आप तमाम देश और दुनिया में जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। ...(समय की घंटी)...। लेकिन इस महंगाई के जमाने में और छठे वेतन आयोग की हैं। सिफारिश के आधार पर आप जो बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं, इसमें गरीबी और महंगाई की बात सबसे महत्वपूर्ण है। इस सत्र में जितने भी भाषण हुए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण कहिए, नक्सलवाद पर चर्चा कहिए, वित्त विधेयक पर चर्चा कहिए, बजट पर चर्चा कहिए, जितने भी विषयों पर चर्चा हुई, सबमें गरीबी और अमीरी के बारे में सोचा गया। ...(समय की घंटी)...। महोदय, यह जो गरीबी की बात कही जाती है, आप जीडीपी की बात कह देते हैं, लेकिन आम आदमी को गेहूं, चावल, दाल, प्याज, आदि चाहिए होता है। आज गेहूं की कीमत कितनी है, दाल की कीमत कितनी है, प्याज की कीमत कितनी है? इस महंगाई के जमाने को देखते हुए आपको सोचना होगा कि हम कामगार या मजदूर को कितना देते हैं। आप सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। आपने social security का enactment कर दिया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि National Social Security Fund के लिए 11,06,449 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, उसमें से National Social Security Fund के नाम से मात्र 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमारे बार-बार मांग करने के बाद आपको यह भी किया है। यह ऊंट के मूंह में जीरा के बराबर 훙

श्री उपसभापति : पाणि जी, यह gratuity का बिल है, इसलिए इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा।

श्री **रुद्रनारायण पाणि** : महोदय, आज gratuity के payment की जो समस्याएं हैं, उनकी स्थिति क्या है? गरीब लोग, मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं ...(समय की घंटी)...

उसके पेमेंट के लिए इतने सारे जो ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं उनकी स्थिति क्या है? मैंने यहां एक सवाल लगाया था कि इस देश में जो लेबर की इकॉनोमी का केपिटल है पश्चिमी बंगाल, वहां कलकत्ता में सी.बी.आई.टी. में प्रिजाइडिंग अफसरों की स्थिति क्या है और उनकी कितनी रिक्तता है? छः-छः प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कलकत्ता महानगर में अभी भी रिक्तता है। आप इन ट्रिब्यूनलों का गठन कर देते हैं और इसमें कर्मचारियों का ग्रेच्युएटी डिस्प्यूट कहां जाता है? इसलिए कर्मचारियों के ग्रेच्युएटी का जो डिस्प्यूट है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है और सभी कर्मचारियों को कैसे ग्रेच्युएटी प्राप्त हो सकती है, इस ओर आपको ध्यान देना होगा। छठे वेतन आयोग में अभी भी विसंगतियां दूर नहीं हुई हैं। सिफारिशों के आधार पर छठा वेतन आयोग 2006 से लागू हुआ था। ये सिफारिशें कुछ जगह लागू हुई हैं और कुछ जगह अभी तक लागू भी नहीं हुई हैं। सर, उड़ीसा में जो सरकार है मेरा उसके साथ मतभेद है। वहां पिछले मई में जो चुनाव हुआ था, उसका पहला चरण पूर्ण हो गया था। लेकिन चुनाव के दूसरे चरण से पहले ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गईं। मैं छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर के हर एक कर्मचारी को उसकी बकाया धनराशि देने का पक्षधर हूं। 2004 में मैं जब संसद सदस्य बनकर आया था, माननीय प्रधान मंत्री जी को छठे वेतन आयोग के गठन के लिए अगर किसी सांसद ने पत्र लिखा था तो उसमें मैं था। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी मुझको पत्र लिखा था। अतः छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को सर्वसम्मति से सभी जगह लागू किया जाए।

कल हमने देखा कि मुम्बई में रेल कर्मचारियों ने किस प्रकार का आंदोलन किया था। इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि भारतीय रेल में लगभग एक लाख इंजीनियर्स काम करते हैं और इनकी वेतन विसंगति अभी भी कायम है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : बस, हो गया।

श्री रुद्रनारायण पाणि: जहां लोग काम करते हैं और जिनके परिश्रम के आधार पर दुनिया चलती है, उनके प्रति आप सदैव दया रखिए। यहां तक कि यहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, आप कहेंगे कि यह सदन संचालन का मामला है, लेकिन आपको यहां भी दया से काम करना होगा और राज्य सभा तथा लोक सभा के जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको जितना देय है वह मिलना चाहिए, उनके प्रति भी आप दया रखिए। महोदय, आपने मुझे उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक पर बोलने का जो मौका दिया, और उसी बारे में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी, उसके लिए धन्यवाद।

SHRI G. SANJEEVA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Bill.

Sir, the Minister has proposed some amendments to the Gratuity Act. We welcome them and support this Bill. But we have some suggestions to make. The provisions of the Bill are not applicable

with retrospective effect, whereas for the Central Government employees, the Sixth Central Pay Commission has recommended a gratuity of ten lakh rupees. The same provision is adopted here in the Gratuity Act also but it is not being done with retrospective effect. This means denying benefits to those people who retired during the period from 2006 to 2010. All the recommendations of the Sixth Central Pay Commission have been implemented and gratuity has been paid to employees with retrospective effect whereas in this case, if the private employers are going to give these benefits in this manner, who is going to benefit? It is not going to be taxed on public sector companies. It is for giving benefit to private sector employees. Those employees who retired before this Bill was brought forward, would get only Rs.3,50,000. If implemented with retrospective effect, this would benefit people who retired from 2006 onwards.

Sir, it is without retrospective effect. So, it is really depriving workers of their genuine right. I can submit to the hon. Minister to please reconsider this. After passing the Gratuity Bill in 1970, this is for the first time that this Gratuity (Amendment) Bill is being considered here. You have not changed the quantum. Every worker, if he completes one year of service, is entitled to 15 days gratuity only. For quite a long time, this 15-days entitlement is there. We thought that the Government is considering favorably to increase this 15-days gratuity to 30 days gratuity. It has been the demand of all the trade unions. Since the cost of living is very high and the prices are soaring high, the quantum of 15 days gratuity should be increased to 30 days gratuity. But that has not been done. In this case, you are discriminating between the Government and private employees. Why? Whom are you going to give benefit? Only Birlas, Tatas and other people are going to get the benefit, not the working class. You are denying this right to employees who are working in the private sector. It is the grave injustice to these employees. The hon. Labour Minister also comes from the depressed class. Poor workers should not be denied this right. Another point is that, Sir, gratuity is given in lieu of service rendered to the industry. For thirty or forty years workers render service to the industry and that industry has to pay gratuity to workers because workers are not entitled to pension scheme at this moment. A large number of workers do not get any pension. They get only gratuity benefit on retirement. Today you are neither increasing the quantum of gratuity entitlement nor are you implementing it with retrospective effect. It is really a grave injustice to workers. I can only say that our Government should reconsider this matter. Therefore, I request the hon. Minister to pass it with retrospective effect. If it is not passed with retrospective effect, it will be an injustice to the working

class. I once again appeal to the Government to please reconsider it otherwise working class people may start agitation saying that you are discriminating between the Government employees and private sector employees and you are bringing this Act without retrospective effect only to benefit the private employers. It is not good for the prestige of the Government. Therefore, I appeal to the hon. Minister to reconsider this. There are no financial consequences on the Government and there is no excess burden on the Government. There is burden only on the private sector. Therefore, I earnestly request the hon. Minister to please reconsider this small thing. This is a social security benefit that you have to give. If this benefit is denied, then nothing else can compensate workers.

SHRIT.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, when the Bill was amended in the last Session, I spoke on this Gratuity Bill. At that time, I reminded the hon. Minister that seasonal workers working in the seasonal industry are not getting benefited by the existing law. Secondly, after the Pay Commission recommendations the income Tax Law has been changed for the Central Government employees. The industrial labour should also be given this concession. The gratuity provision should be fully amended in the Income Tax law for employees and for seasonal workers. Today seasonal workers and unskilled workers are not getting such benefits. Last time the hon. Minister agreed that he would bring a full-fledged Gratuity (Amendment) Bill. He should feel sorry because that has not happened. Again you are coming with some other amendment which is not going to help the working class. I request the hon. Minister to come back with a full-fledged Gratuity (Amendment) Bill.

श्री आर. सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं संक्षेप में दो-चार बातें ही कहूंगा, क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि समय बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रैच्युटी की रकम साढ़े तीन लाख से दस लाख तक किया है। लेकिन यह बात भी याद दिलाना चाहता हूं कि छठे पे-कमीशन के बाद यह रकम बहुत कम होती है। हमने पूरी चालीस साल की जिंदगी का समय उस कम्पनी को दिया होता है, इसलिए इसका जो रेट है, जैसा कि संजीव रेड्डी साहब ने कहा है कि एक साल में 15 दिन के स्थान पर एक साल में 30 दिन की ग्रेच्यूटी होनी चाहिए, वह 30 दिन की बात संशोधन में आनी चाहिए और मैं इस बात की मांग करता हूं।

दूसरी बात यह है कि छठा-पे कमीशन 2006 से लागू हुआ है और कम से कम इसको तब से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने इसमें कहा है, "It shall come into force on such date as the Central

Government may, by notification in the Official Gazette, appoint." इससे जो ग्रैच्युटी प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी लॉस होने वाला है, इसलिए कम से कम 2006 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और मैं इस बात की मांग करता हूं, जो 2006 से 2010 तक के बीच में रिटायर हुए हैं, उन तमाम लोगों का बहुत नुकसान होगा।

सर, मैं एक और बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज आ गई है, जहां पर कम से कम लोगों से ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाता है। मंत्री महोदय ने कहा कि जहां दस या दस से अधिक लोग होते हैं, मेरा ट्रेड यूनियन करने का अधिकार होता है जहां सात या सात से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पर मैं ट्रेड यूनियन कर सकता हूं, लेकिन अगर दस से नीचे की संख्या होगी, तो मुझे ग्रेच्युटी का अधिकार नहीं होगा। इसलिए इसमें मंत्री महोदय को संशोधन करना चाहिए जिससे कि सारे लोगों को ग्रेच्युटी का हक मिले। क्योंकि यह हमें काम के बदले में दिया जाता है। जो लोग जिस कम्पनी में काम करते हैं, वहां पर उन्होंने पूरी जिंदगी का समय दिया होता है और हम अपने बुढ़ापे में उससे गुजर-बसर कर सके, इसलिए इसकी आवश्यकता है।

सर, मैं घड़ी देख रहा हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं माननीय मंत्री जी को एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि जो चाय-बागान के मजदूर लोग हैं, एक सौ करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रेच्युटी की लायबिलिटी उनकी पेंडिंग है, इसके लिए मंत्री महोदय क्या प्रावधान कर सकते हैं कि हमारी जो बुढ़ापे की कमाई है, वह नहीं मारी जा सके, वह हमको मिल सके, इसके लिए भी कोई प्रावधान करते, तो अच्छा रहता। एक बात हमारे माननीय एम.पी. साहब ने भी कही कि सीजनल वर्कर्स को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। इन बातों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI RENUBALA PRADHAN (Orissa) *: Mr. Deputy Chairman Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2010. I welcome this bill. Human resource is one of the most important resources of the country. The labourers working in different sectors have been playing an important role for the development of the country. Thousands of labourers are engaged in the field of agriculture, port, plantation, mines, railways in the country.

Sir, it has been observed that these labourers are not able to get their rightful demands fulfilled. If the interest of the labourers are not secured then the development of the country will certainly be hampered.

Sir, thousands of employees are engaged in unorganized sector in our country. The genuine interests of the agricultural labourers are always hampered because they are working in the largest unorganized sector.

Sir, under the provision of this bill the government proposes to increase the amount of gratuity from 3.5 lacs to 10 lacs. This is a welcome step.

^{*}English translation of the original speech in Oriya.

Sir, through you I wish to draw the attention of the hon be Minister of Labour and Employment to the problem of the workers working under MNREGA. I demand that the labourers working under MNREGA be also provided the benefit of this enhanced gratuity. It is also essential that a proper mechanism should be devised for safeguarding the interest of the employees working in different unorganized sectors in our country.

I once again support this bill. Thank you.

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me time to make a few submissions in support of this Bill. Before me, our senior trade union leader, and, leader of our working group, Shri Sanjeeva Reddy, has already mentioned in his speech the requirements which are yet to be completed to improve the Act which provides for payment of gratuity to the workers. I fully support him on the points which he has made.

At the same time, Sir, this piece of legislation, which has been brought by the Government, is very, very encouraging for the workers. The workers will be very happy to get the news that this Bill has been passed soon after the May Day, which is dedicated to the workers, or, in the month of May itself. Sir, as has been said by my friend, Mr. Pany, as far as payment of gratuity is concerned, at the receiving level, there is a lot of discrepancy. No law is working to make people get payment of gratuity when it is due. At the State level, we see that the plantation workers – we are mostly concerned with the plantation workers – after they leave the industry, they forget about getting the payment of gratuity. Some sort of legislation must be there, and, if there is some legislation, it must be given effect. Otherwise, merely passing this kind of legislation will have no effect if the workers do not get their legitimate due, which has been legalized through this piece of legislation.

I also demand that retrospective effect should be given, and, support the proposal made by my leader Shri Sanjeeva Reddy, who is dealing with the Government and the workers on these matters since long. We follow him. Today, this Bill has come. I consider it as one of the achievements of INTUC under his leadership. I am grateful to the Government for bringing forward this legislation. I am also grateful to Soniaji; I am grateful to Manmohan Singhji; I am grateful to the hon. Labour Minister for taking initiative to bring this Bill for the welfare of the workers of the private sector in this country.

My only request is that retrospective effect should be given as has already been desired. With these words, Sir, I fully support the Bill. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Minister to reply.

श्री मिल्लिकार्जुन खरगे: उपसभापित जी, इस बिल पर आएंभ में जो बातें कही गई हैं, इसमें रुद्रनारायण पाणि साहब, विपक्ष के नेता, श्री संजीव रेड्डी जी, टी.के. रंगराजन, आर.सी. सिंह साहब, श्रीमती रेणुबाला प्रधान और श्री सिलवियस कोंडपन, इन छह लोगों ने इस छोटे से बिल पर बात की है। सभी नेताओं ने इसका सपोर्ट किया है, इसकें लिए मैं उनका आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। खासकर रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट के बारे में, पंद्रह दिन की बजाए तीस दिन का वेजेस देना चाहिए, आदि बहुत सी बातें हुई हैं।

इसलिए ये सारी बातें हमारे सामने हमारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ने रखी हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि ये जो चीजें तय की गई हैं, वे ज्यादा से ज्यादा consensus से तय की जाती हैं। Tripartite में जब हम बैठते हैं, उससे जो नतीजा निकलता है, उस नतीजे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर एक consensus बना कर हम आपके सामने आते हैं। हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन देने वाले की भी क्षमता होनी चाहिए और जिनके लिए हम कोशिश करते हैं, उनको वह मिलना भी चाहिए, यानी उसकी implementation भी होनी चाहिए। सिर्फ भाषण देने से, सिर्फ कहने से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हम सबको पूरी कोशिश करनी है कि इन वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

आप सब इस बात से खुश हैं कि 4 मार्च से पहले, जिस Gratuity Act का amendment हुआ, पहले वह 3,50,000 पर रुका था, उसे बढ़ा कर हमने अब 10 लाख कर दिया है, यानी यह लगभग तीन गुना बढ़ गया है। सभी लोग इससे खुश हैं। गवर्नमेंट का रवैया यही रहेगा कि pro-labour और labour-friendly Acts पेश किए जाएं। आज तक सदन में हम जो भी Acts लाए हैं, उनको सभी लोगों का समर्थन मिला है। सभी माननीय सदस्यों ने उनको support किया है, खास कर वह Plantation Act हो या टीचर्स के लिए हम लोगों ने Provident Fund में Gratuity की जो definition थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको change करके लाखों टीचर्स के लिए वह सुविधा दी। आज भी लाखों-करोड़ों वर्कर्स के लिए हम यह सुविधा दे रहे हैं। इससे सभी कर्मचारी बहुत खुश हैं।

आपने बाकी अन्य जो सलाह दी हैं, हमारे रुद्र नारायण पाणि जी भी Tripartite में रहते हैं, हमारे संजीव रेड्डी साहब भी रहते हैं, हम जो कुछ भी और ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और अगर ज्यादा-से-ज्यादा कुछ करने का मौका आया, तो हम सब मिल कर करेंगे। वर्कर्स के संबंध में गवर्नमेंट को हमेशा बहुत चिता रहती है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ भी survive हो, इंडस्ट्री को भी जिंदा रखने के लिए हमें जो कुछ भी मदद करनी चाहिए, हमें वह भी देखना है। हमें एक balanced way में चलना है। हम यह purposely तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इसे 30 दिन क्यों नहीं किया गया, यह anti-labour है। अगर 30 दिन यानी एक महीने की तनख्वाह gratuity के रूप में देने की ताकत किसी small scale industry में आती है, तो definitely हम सभी मिल कर उसके बारे में सोच

सकते हैं। लेकिन इस वक्त वह क्षमता नहीं रहने की वजह से जो भी सुविधाएं पहले थीं, वे continued हैं। सिर्फ ceiling, जो पहले 3,50,000 थीं, उसे हमने बढ़ा कर 10 लाख कर दिया है। इसलिए मैं सभी सदस्यों से ...(व्यवधान)... उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं। ...(व्यवधान)... मैंने कहा कि जब क्षमता आएगी, तो retropective भी देंगे और 30 दिन की भी देंगे, लेकिन आज के हालात में यह ठीक है। इसलिए आप सभी से मैं अपील करता हूं कि इसे पास कर दिया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is,

That the Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Tamil Nadu Legislative Council Bill, 2010 (Contd.)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I beg to move:

That the Bill to provide for the creation of Legislative Council for the State of Tamil Nadu and for the matters supplemental, incidental and consequential thereto, be taken into consideration.

The question was proposed.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this Bill has been introduced today and it has now been taken up for consideration and passing. I have no quarrel with regard to the spirit of the Bill. The BJP, from the beginning, is of the view that there is a need to have a bicameral legislature across the country. We have a bicameral legislature at the Centre in the form of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. If similar arrangement is there in any State, nobody should have any objection. But the question is this. I would like to impress upon the Chair and also the hon. Members of the House of all shades that we